तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/2/22	[illegible] प्रतिवादी [illegible] तलबी जारी की गयी थी, [illegible] तामील हो जाने के बाद भी आदिनांक [illegible] तक तामील नहीं प्राप्त हुए हैं नहीं [illegible] तामिला प्राप्त हुए हैं वादी को हिदायत दी जाती है कि वह आगामी पत्रावली के जरिये रजिस्ट्रीकृत A.D तलबी पुनः पेश करें पत्रावली दिनांक 4/3/22 को पेश हो। उपसंपादक [illegible]
4/3/22	पत्रावली पेश उक्त सरकार-पैरोकार उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 23/2/22 के द्वारा अदायगी गयी की तलबी 7 दिवस में रजिस्ट्रीकृत A.D पर तलबी तलबगार पेश करने की हिदायत की गयी लेकिन वादी द्वारा आदेश की पालना में अदायगी गयी की तलबी आदिनांक तक पेश नहीं करना जाहिर है इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है। अतः वाद वादी O9 R5 CPC के प्रावधानों के तहत खारिज तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर में बाद हो एक बार तकमील दायर हो सकता है। 04.03.22